(299)

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1.सुनील कुमार यादव पिता शंकर प्रसाद यादव
2.किशन यादव पिता शंकर प्रसाद यादव
दोनो निवासी आगरा मुहल्ला पन्ना
तह. व जिला पन्ना म.प्र.

आवेदकगण

R-1797-II/12

बनाम

1. रामभगत मुड़हा पिता धरमदास मुड़हा
   ग्राम ककरहटी हाल निवासी अमचुई तह. व जिला पन्ना म.प्र.
2. श्रीमति कस्तूरीबाई पुत्री भदइंया चमार
3. भदईया चौधरी तनय लोटन चौधरी
   दोनो निवासी ग्राम अमचुई तहसील व जिला पन्ना

...... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर जिला पन्ना म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 88/89 स्वमेव निगरानी वर्ष 2009-10 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2012 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है।

आवेदकगणों की ओर से प्रार्थना निम्न प्रकार है :-

1. यह कि अनावेदक क्र. 1 के आवेदन पर प्रकरण प्रारंभ किया जाकर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया जिसका विधिवत उत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विधिवत रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र दिनांक 26.10.2006 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। तभी से आवेदकगण काबिज रहते चले आ रहे है। क्रय शुदा भूमि अनावेदक क्रमांक 1 स्वयं क्रय करना चाहता था। इस कारण उसके द्वारा बिना किसी अधिकारिता के हित न रखते हुये भी आवेदन लम्बे अंतराल के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। इस कारण हितबद्ध पक्षकार न होने ओर अवधि बाधित कार्यवाही होने से कार्यवाही समाप्त की जाए किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि शासन में दर्ज किये जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता के तहत सुर्पुणा के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की है जबकि इतने अंतराल के पश्चात् धारा 50 के

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–1797–दो/2012 जिला–पन्ना

सुनील कुमार यादव व अन्य विरूद्ध रामभगत मुड़हा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–पन्ना के प्रकरण क्रमांक 88/89 स्वमेव निगरानी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 28–04–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 18/03/19 सदस्य	